

सं0 सं0 14 / एम 11-2/17 (खंड)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.11.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संजय आनन्द पिता—स्व. राजेश्वर सिंह ग्राम—सहनु पो०—विशुनपुरा थाना—म० य० जिला—गया सीभीनं०—30489 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	अनिता देवी पति—योगेन्द्र कुमार सिंह ग्राम—रामपुर पो०—अरंडा, थाना ओबरा जिला—औरंगाबाद सीभीनं०—2017 / 014 / 0011507	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	आदित्य पिता—धर्मन्द्र चौधरी ग्राम—कैथहर खुर्द पो०—सिकठी थाना—धनसोई जिला—बक्सर सीभीनं०—21094 / 17	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	म० मकसुद पिता—शेख गफ्फार ग्राम—बलुआ पो०—करसहीया थाना—ढाका जिला—पूर्वी चम्पारण सीभीनं०—32625 / 17	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।

5	रौशन खातुन पति—मो10 असगर ग्राम—चांदपुर कला पो0+थाना गोरौल जिला वैशाली सीधीनं0-31858 / 17	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,20,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,20,000 /-(पांच लाख बीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 984273 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-10874584258, खाता धारक का नाम—AIIMS CT PATIENT'S'ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....984273.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24.11.17

ज्ञापांक १९८३ (१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में / श्री संतोष कुमार निराला मा० मंत्री परिवहन विभाग / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/17
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-2/17 (खंड)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक / अधीक्षक

सफदरजंग अस्पताल,

रिंग रोड, नई दिल्ली-110029

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.11.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजं को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिव पुजन पिता—स्व. रघुनन्दन राय ग्राम—सीसवा पो०—नगरा थाना—मढ़ौरा जिला—सारण	हृदय रोग	₹ 1,05,000/- (एक लाख पाँच हजार) स्वीकृत।
कुल रु0 1,05,000/-			

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 1,05,000/- (एक लाख पाँच हजार) का क्रास चेक सं0.....

.....784303.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक । १९८६(१५)

पटना, दिनांक २५-११-१२

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जितेन्द्र कुमार राय मा० स०वि०स० मढ़ौरा / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
२१.११.१६।

सं0 सं0 14/एम 11-2/17 (खंड)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

राय बरेली रोड, लखनऊ-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.11.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनोज कुमार पिता—नागेश्वर साह ग्राम—सिसवा टोला अमवा पो०—सिसवा थाना—बंजरीया जिला—पूर्वी चम्पारण सीआरनं०—2017487294	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	धीरज कुमार सिंह पिता—रघुनाथ सिंह ग्राम+पो०+थाना—उदवन्त नगर जिला—भोजपुर, आरा सीआरनं०—2012287131	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	संजय कुमार पिता—आदित्य साव ग्राम—पो०—पभेड़ी मोड़ थाना—धनरुआ जिला—पटना सीआरनं०—2017430166	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	उपेन्द्र प्रसाद पिता—स्व. राम अयोध्या प्रसाद ग्राम—मच्छहा पो०—सिरसा कोलोनी थाना—मुफसिल जिला—पूर्वी चम्पारण सीआरनं०—2017482022	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

४२

5	मो० ओजैर पिता—शेख मो० जान ग्राम—मोहम्मदपुर पो०—सीसवनीया थाना—बंजरीया जिला—पूर्वी चम्पारण सीआरनं०—2017641402	सर्जरी	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	सुनील कुमार पिता—बैजनाथ साह ग्राम—कांटी कसबा पो०+थाना—कांटी जिला—मुजफ्फरपुर सीआरनं०—2017674004	न्युरो सर्जरी	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	राकेश रंजन कुमार पिता—सत्येन्द्र कुमार ग्राम—नाथ खरसा पो०—निरंजनपुर थाना—मेहंदिया जिला—अरवल सीआरनं०—2017253554	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
8	महजबीन खातुन पति—नसीम अहमद ग्राम—पो०+थाना—खुटौना जिला—मधुबनी सीआरनं०—2017030874	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,30,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,30,000/- (सात लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० १८७२७४ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमत्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
संलग्न चेक सं. ९८४२७४ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को
कर दिया जाय।

ज्ञापांक १०८५(१४)

पटना, दिनांक २५.११.१२

हो/-
निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री प्रमोद कुमार, मा० मंत्री
पर्यटन विभाग / डा० शमीम अहमद, मा० स०वि०स० / श्री लक्ष्मेश्वर राय मा० स०वि०स० / सभी संबंधित
मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०८५(१४)
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-2/17 (खंड)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक

मेदान्ता द मेडिसिटी, गुडगांव,

सेक्टर-38, हरियाणा,

पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.11.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राघवेन्द्र किशोर पिता—महेन्द्र साह ग्राम—कमलनाथ नगर पो०—बेतिया थाना—नगर जिला—प० चम्पारण	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	नरेश प्रसाद पिता—शिव रतन साव ग्राम—सिपारा गांधी मूर्ती पो०—कुरथौल थाना—बेउर जिला—पटना	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 2,30,000/-			

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 984302 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 000380200000292, खाता धारक का नाम— ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल— दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—यश बैंक लि०, शाखा का नाम—, RTGS/IFSC कोड सं0 YESB0000003 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

✓

4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड़, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....784302.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

ज्ञापांक 1985(14)

निदेशक प्रमुख
पटना, दिनांक 24.11.17

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
२५.११.१७